

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा

क्रमांक :- अ.अ./जसख/कोटा/ईआर.सी.पी./2018-19/34

दिनांक :- 04.01.2019

नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषय :- कालीसिन्ध नदी पर नौनेरा बैराज के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रसंग :- आपके पत्र क्रमांक F. 14()2018/FCA/PCCF/EDS-I दिनांक 29.11.2018 के क्रम में।

प्रस्ताव सं० :- FR/RJ/IRRIG/359045/2018 dated 03.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दिये गये आक्षेपों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

Section	Observation	Reply
A-1 Project Details	प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पूर्ण उद्देश्य यथा कमाण्ड क्षेत्र केपेसिटी आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में वांछित संशोधन कर दिया गया है। चूंकि वर्तमान में बैराज का उद्देश्य जल संग्रह मात्र है अतः कमाण्ड क्षेत्र शून्य है।
A-3 Details of person making application	प्रस्ताव में अतिधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किये गये हैं।	प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता के हस्ताक्षर सत्यापित हैं।
B. Details of land required for forest.	1. प्रस्ताव में पूर्व में प्रेषित स्वीकृत/ अस्वीकृत/ प्रक्रियाधीन प्रकरणों की सूची संलग्न नहीं की गई है। 2. यूजर एजेन्सी द्वारा कम्पानेंट अनुसार अर्थात् डेमलाईन रोड सबमर्जेन्स आदि के अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है।	(1) इस खण्ड से संबंधित सावन भादो मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-186/88-FC दिनांक 21.07.1998 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 09.05.2018 द्वारा भिजवा दी गई है। (2) प्रस्ताव डेम लाईन, रोड़, सबमर्जेन्स के अनुभाग में प्रस्तुत कर दिया गया है।
C. Maps of forest land proposed to be diverted	1. प्रस्ताव में संलग्न KML File में वन सीमा का सीमांकन जिला सीमा पूर्ण पूर्ण विवरण कम्पानेंट अनुसार नहीं दिया गया है। प्रस्ताव KML File में के पॉलीगोन का क्षेत्रफल 665 है० आता है जबकि प्रस्तावित वन क्षेत्र 655.9 है० दिया है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	(1) प्रस्ताव में वांछित संशोधन कर दिया गया है।

	2. जी.टी. शीट मेप में प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा जिला सीमा एवं किस जी.टी.शीट का प्रयोग किया गया है, अंकित नहीं है। मेप 150000 पर दिया जाकर संशोधन मेप दिया जाना प्रस्तावित है। 3. डी0जी0पी0एस0 मेप में प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा जिला सीमा एवं प्रस्तावित वन भूमि के अक्षांश, देशान्तर संख्या अंकित नहीं है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में एक ही मानचित्र में अक्षांश देशान्तर दिये गये हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है। अतः इन्हें सेगमेंट के अनुसार अनुसार पृथक-पृथक रूप से अपलोड करने का श्रम करें।	(2) जी.टी. शीट मेप में वांछित संशोधन कर दिया गया है। (3) डी0जी0पी0एस0 मेप में वांछित संशोधन कर दिया गया है। अक्षांश देशान्तर सेगमेंट के अनुसार अनुसार पृथक-पृथक रूप से अपलोड कर दिये गये हैं।
D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined.	यूजर एजेन्स द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता का पूर्ण विवरण संलग्न नहीं किया गया है एवं विभिन्न विकल्पों के परीक्षण के संदर्भ में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है साथ ही प्रस्तावित बांध पर विभिन्न डेम लाईन पर प्रभावित वन क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव का विश्लेषण नहीं किया गया है जो प्रस्तावित है। सही स्थिति स्पष्ट किया जाकर KML File, DGPS map & GT Sheet पर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव की औचित्यता का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया गया है एवं विभिन्न विकल्पों के परीक्षण के संदर्भ में Analysis sheet संलग्न कर दी गई है। DGPS map सी.डी. /ई-मेल द्वारा आपको भेज दिया गया है।
E. Employment likely to be generated	प्रस्ताव में सृजित होने वाले 40 स्थायी रोजगार का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	स्थायी रोजगार का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
F. Displacement of people due to the Project, if any	प्रस्ताव में बांध बनाये जाने से कोई व्यक्ति का विस्थापन नहीं होगा इस बाबत स्पष्ट नहीं किया गया है।	यह स्पष्ट किया जाता है कि बांध बनाये जाने से डूब में आ रही वन भूमि से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होगा।
G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project	प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र में लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रारूप संलग्न कर दिया गया है।
L. Details of land identified for Compensation Afforestation	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में गैर वन भूमि नहीं दिये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्ताव में गैर वन भूमि दिया जाना है इस हेतु गैर वन भूमि का पूर्ण विवरण यथा आदेश की प्रति KML File, DGPS map & GT Sheet पर दिया जाना प्रस्तावित है।	गैर वन भूमि का प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड कार्यालय को भिजवाया गया है। जो प्रक्रियाधीन है।
M. Hydel/Irrigation/ Multipurpose Project	पूर्ति नहीं गई है।	चूंकि वर्तमान में बैराज का उद्देश्य जल संग्रह मात्र है जिससे संग्रहित पानी का पेयजल/ उद्योगिक उपयोग के लिए ड्राईवर्जन किया जायेगा। अतः हाइड्रोलिक एवं इरिगेशन उद्देश्य शून्य समझा जावे।
Additional information details	1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2. ग्रामवार वन एवं गैर वन भूमि के विवरण में लम्बाई एवं चौड़ाई के गुणक में एरिया केलकुलेशन शीट मंडलवार एवं एकजाई संलग्न नहीं है। 3. प्रस्तावित वन क्षेत्र की जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र पर अंकन।	1. ए.एस. संलग्न है। 2. चूंकि वन विभाग व गैर वन विभाग एरिया Arch GIS से की गई है। 3. जमाबन्दी व राजस्व नक्शा संलग्न कर दिया

